पत्रांक 10/व 1–22/2015 (अंश–IV)......06

बिहार सरकार
शिक्षा विभाग

प्रेषक,

अजय सतीश भेंगरा,
उप सचिव, शिक्षा विभाग।

सेवा मे,

महालेखाकार (ले० एवं ह०) बिहार
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

पटना दिनांक....20/04/2026

विषय– **वित्तीय वर्ष 2026–27 में शिक्षा विभाग के माध्यमिक शिक्षा निदेशालय अन्तर्गत कार्यरत डाटा इन्ट्री ऑपरेटर एवं आई0टी0 ब्यॉय के निर्धारित अनुबंध एवं शर्तों के आधार पर मानदेय भुगतान हेतु 1,20,00,000/–(एक करोड़ बीस लाख रूपये) मात्र की स्वीकृति एवं तत्काल 39,00,000/– (उनचालीस लाख रूपये) की विमुक्ति के संबंध में।**

आदेशः– **स्वीकृत।**

निदेशानुसार वित्तीय वर्ष 2026–27 में शिक्षा विभाग के माध्यमिक शिक्षा निदेशालय अन्तर्गत कार्यरत डाटा इन्ट्री ऑपरेटरों एवं आई0टी0 ब्यॉय को बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक डेवलेपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड एवं विभाग द्वारा निर्धारित अनुबंध एवं शर्तों के आधार पर मानदेय भुगतान हेतु 1,20,00,000/–(एक करोड़ बीस लाख रूपये) की स्वीकृति एवं तत्काल 39,00,000/– (उनचालीस लाख रूपये) की विमुक्ति की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. वित्तीय वर्ष 2026–27 में स्वीकृत राशि का विकलन मुख्य शीर्ष 2202–सामान्य शिक्षा, उप मुख्य शीर्ष–02 माध्यमिक शिक्षा–लघुशीर्ष–001–निदेशन और प्रशासन, उप शीर्ष 0001–माध्यमिक शिक्षा निदेशालय, विपत्र कोड–21–2202–02–001–0001, विषय शीर्ष–28 02 संविदा सेवायें के अंतर्गत होगा। वित्तीय वर्ष 2026–27 में संगत शीर्ष में कुल 2,22,00,000/–(दो करोड़ बाईस लाख रूपये) मात्र का उपबंध प्राप्त है।

3. स्वीकृत राशि, निदेशक (माध्यमिक शिक्षा) के निस्ताराधीन होगी। बेल्ट्रॉन से प्राप्त विपत्र के आधार पर स्वीकृत एवं विमुक्त राशि के अंतर्गत डाटा इन्ट्री ऑपरेटर/आई0 टी0 ब्यॉय का मानदेय भुगतान हेतु निर्गत आदेश के आलोक में BTC-25 पर विपत्र तैयार कर CFMS के माध्यम से निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, माध्यमिक शिक्षा द्वारा सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से राशि की निकासी कर Indian Overseas Bank, Shastri Nagar, Patna में बेल्ट्रॉन के Bank Account No. 151201000037012, IFSC Code – IOBA0001512, PAN No. AACCB 0540P, GSTIN – 10AACCB 0540P1Z2 में राशि का अंतरण, अंतरण जमा द्वारा किया जायेगा।

4. कोषागार से उतनी ही राशि की निकासी की जायेगी जितना देय राशि के विरूद्ध आवश्यक राशि का भुगतान करने की आवश्यकता होगी।

5. वित्त विभाग का परिपत्र संख्या–2561 (वि–2) दिनांक 17.04.1998 तथा समय–समय पर निर्गत अनुदेशों में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार राशि की निकासी की जायेगी।

6. निधि का विचलन अन्य मदों में नहीं किया जायेगा।

7. संचिका संख्या–10/व 1–22/2015 (अंश–IV) के टिप्पणी भाग पृ0 53–52/टि० पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

8. प्रस्ताव पर अपर मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/–
(अजय सतीश भेंगरा)
उप सचिव, शिक्षा विभाग

ज्ञापांक:–10 / व 1–22 / 2015 (अंश–IV)............ .पटना, दिनांक...........................

प्रतिलिपि–कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–

उप सचिव, शिक्षा विभाग

ज्ञापांक:–10 / व 1–22 / 2015 (अंश–IV)....06............ पटना, दिनांक..20/04/2026

प्रतिलिपि–निदेशक (माध्यमिक शिक्षा) / उप सचिव, शिक्षा विभाग / नोडल पदाधिकारी, ERP, शिक्षा विभाग / बजट पदाधिकारी / बजट शाखा / निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, माध्यमिक शिक्षा / रोकड़पाल / लेखापाल / विपत्र लिपिक / आई0टी0 मैनेजर, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

20.4.26

उप सचिव, शिक्षा विभाग